रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 268] नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 1972/ज्येष्ठ 8, 1894

No. 268] NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 1972/JYAISTHA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDERS

New Delhi, the 29th May 1972

S.O. 381(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development), No. S.O. 1027, dated the 6th March, 1971, the Management of the industrial undertaking known as Messers Braithwaite and Company (India) Limited, Calcutta (hereinafter in this Order referred to as the industrial undertaking) has been taken over under Section 18-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of five years commencing from the 6th day of March, 1971;

And whereas the Government of India is satisfied that it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production in a scheduled industry, namely, Railway Rolling Stock;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18-FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the industrial undertaking was a party or which may be applicable to it immediately before the 6th day of March, 1971 shall remain suspended.

2. This order shall remain in force for a period of one year commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 1/53/71-P.S.Cell/HM(I).]

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 मई, 1972

का० आ० 381(अ).—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 1027 तारीख 6 मार्च 1971 द्वारा मैसर्स ग्रैथवट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे इस आदेश में आगे औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क के अधीन 6 मार्च, 1971 से आरम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया है;

और यतः भारत सरकार का समाधान हो गया है कि अनुसूचित उद्योग अर्थात् रेल के माल-डिब्बों के उत्पादन की मात्रा में कमी को रोकने की दृष्टि से लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि ऐसी सभी संविदाएं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्र, करार, समझौते, पंचाट, स्थायी आदेश या अन्य प्रवृत्त लिखतें, जिसका वह औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार था या तो 6 मार्च, 1971 से तुरन्त पूर्व उसे लागू रहे हों, निलम्बित रहेंगे ।

2. यह आदेश राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा ।

[सं० फा० 1/53/71-पी० एस० सैल/एच एम(1)]

S.O. 382(E)/IDRA/19/72/4.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the notified Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 174(E)/IDRA/19/72/2, dated the 2nd March, 1972, namely:—

In the said Order for item 3 relating to Shri S. Subha Rao, Senior Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, New Delhi the following item shall be substituted, namely:—

"3. Shri S. R. Mallya, Senior Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, Cost Accounts Branch, New Delhi."

[No. F.13(33)/Lic.Pol./70.]
S. M. GHOSH, Jt. Secy.

का० आ० 382 (अ)/आई डी आर ए/19/72/4.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951(1951 का 65) की धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 174 (अ)/आई डी आर ए/19/72/2, दिनांक 2 मार्च, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में श्री एस० सुभाराव, वरिष्ठ लागत लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली से सम्बन्धित मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात :—

"श्री एस० आर० माल्या,
वरिष्ठ लागत लेखा अधिकारी,
वित मंत्रालय, लागत लेखा शाखा,
नई दिल्ली ।"

[सं० फा० 13(33)/एल पी/70]
एम० एस० घोष, संयुक्त सचिव ।

ORDERS

New Delhi, the 29th May 1972

S.O. 383(E)/IDRA/19/72/3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the notified Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 173(E)/IDRA/19/72/1, dated the 2nd March, 1972, namely:—

In the said Order for item 3 relating to Shri S. Subha Rao, Senior Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, New Delhi the following item shall be substituted, namely:—

"3. Shri S. R. Mallya, Senior Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, Cost Accounts Branch, New Delhi."

[No. F.13(33)/Lic.Pol./70.]

आदेश

नई दिल्ली, 29 मई, 1972

का० आ० 383(अ)/आई डी आर ए/19/72/3.—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 19 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय, के अधिसूचित आदेश सं० का० आ० 173 (अ)/आई डी आर ए/19/72/1, दिनांक 2 मार्च, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं अर्थात् :—

उक्त आदेश में श्री एस०, सुभाराव, वरिष्ठ लागत लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली से संबंधित मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखा जाएगा अर्थात :—

"श्री एस० आर० माल्या,
वरिष्ठ लागत लेखा अधिकारी,
वित्त मंत्रालय, लागत लेखा
शाखा, नई दिल्ली।"

[सं० एफ० 13(33)/एल० पी०/70]

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 29th May 1972

S.O. 384(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O 143, dated the 9th January, 1967, read with the order of the Government of India in the Ministry of Foreign Trade No S.O. 3251, dated the 30th August, 1971, the management of the industrial undertaking known as the Mahalakshmi Mills Company Limited, Bearwar (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under Section 18A of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of seven years up to and inclusive of the 8th January, 1974.

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, the cotton textile industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain scuspended for the said period.

[No. F.3/9/72-C.U.C.]

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 29 मई, 1972

का० आ० 384(अ).—यतः भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3251, तारीख 30 अगस्त, 1971 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का०आ० 143 तारीख 9 जनवरी, 1967 द्वारा महालक्ष्मी मिल्स कम्पनी लिमिटेड, बीवार, (जिसमें इसमें इसके पश्चात उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क के अधीन सात वर्ष की अवधि तक और जिसमें 8 जनवरी, 1974 भी सम्मिलित है ग्रहण कर लिया गया है ;

और यतः केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के बारे में जन-साधारण के हित में अनुसूचित उद्योग, अर्थात सूतीवस्त्र उद्योग, के उत्पादन के परिमाण में कमी को रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18 च, ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी करने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित से भिन्न) सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, अधिनिर्णयों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन, जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व करने वाली कोई कंपनी पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हैं, एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व तद्धीन उत्पन्न या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे।

[सं० फा० 3/9/72-सी यू० सी०]

S.O. 385(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S.O. 4028/IDRA/18A/71 dated the 19th October, 1971, the management of the industrial undertaking known as the Mysore Spinning and Manufacturing Company Limited, Bangalore (hereinafter referred to as the said industrial undertaking has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of five years up to and inclusive of the 18th October, 1976;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, the cotton textile industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or others instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. F.3/8/72-C.U.C.]

का० आ० 385(अ).—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश का० आ० संख्या 4028/आई० डी०आर०ए०/18/71 तारीख 19 अक्तूबर, 1971 के द्वारा, मैसूर स्पीनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क

के अधीन पांच वर्ष की अवधि तक और जिसमें 18 अक्तूबर 1976 भी सम्मिलित है, ग्रहण कर लिया गया है :

और यत: केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के बारे में, जनसाधारण के हित में, अनुसूचित उद्योग अर्थात् सूती वस्त्र उद्योग, के उत्पादन के परिमाण में कमी को रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 18चख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी करने की तारीख के ठीक, पूर्व प्रवृत (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित से भिन्न) सभी संविदाओं संपत्ति के हस्तातरण,पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, अधिनिर्णयों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन, जिनका औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व करने वाली कोई कम्पनी पक्षकार है, या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू है, एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तरीख के पूर्व तदधीन उत्पन्न या उद्भूत होने वाली सभी अधिकार विशेषाधिकार बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे ।

[नं० फा० 3/8/72-सी० यू० सी०]

S.O. 386(E). Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S.O. 4030/18A/IDRA/71, dated the 19th October, 1971, the management of the industrial undertaking known as the M/s. Minerava Mills Limited, Bangalore (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of five years up to and inclusive of the 18th October, 1976;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, the cotton textile industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing of arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[No. F.3/8/72-C.U.C.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

का०आ० 386(अ).—यत: भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश का०आ० संख्या 4030/18क/आई डी आर ए/71 तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा, मैसर्स मिर्वा मिल्स लिमिटेड, बंगलौर (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) के नाम ज्ञात औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65)की धारा 18क के अधीन पांच वर्ष की अवधि तक और जिसमें 18 अक्तूबर, 1976 भी सम्मिलित है, ग्रहण कर लिया गया है :

और यत: केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के बारे में जनसाधारण के हित में, अनुसूचित उद्योग, अर्थात्, सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन के परिणाम कमी को रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18क्ख की उप-धारा (j) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी करने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित से भिन्न) सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तातरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, अधिनिर्णयों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का प्रवर्तन जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व करने वाली कोई कम्पनी पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू है, एक वर्ष की अवधि के लिए निलंबित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व तद्धीन उत्पन्न या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलंबित रहेंगे ।

[सं० फा० 3/8/72—सी० यू० सी०]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972